न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :नन्दकिशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 46/2020

अपीलांट

1. मोटाराम पुत्र श्री मंगलाराम
2. गिरधारी पुत्र श्री मंगलाराम
3. मालाराम पुत्र श्री मंगलाराम
4. कालुराम पुत्र श्री बुधाराम जातिगण जाट निवासी अबकाई की ढाणी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. भोलाराम पुत्र श्री भैराराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री अमराराम
3. श्रवणराम पुत्र श्री दुर्गाराम
4. रूपाराम पुत्र श्री शिवराम
5. तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री भवानी सिंह जैतावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री महेन्द्र कुमार ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04

राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 6.10.2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 15/2020 बउनवान मोटाराम बनाम भोलाराम में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि मौजा अबकाई ढाणी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 132 रकबा 2.6400 व खसरा नम्बर 132/1 रकबा 2.46 हैक्टर अपीलाण्ट के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम अबकाई ढाणी से चौपड़ा जाने वाली मुख्य सड़क के पास स्थित है। उक्त सड़क खसरा नम्बर 128 गै. मु. रास्ता में स्थित है। अपीलाण्ट की भूमि खसरा नम्बर 132 व 132/1 तथा खसरा नम्बर 128 गै. मु. रास्ता के बीच में करीब 40 फु चौड़ी, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.200 हैक्टर गै. मु. आखरीया व खसरा नम्बर 129 गै. मु. आगोर की भूमि स्थित है। अपीलाण्ट उक्त दोनो खसरो का उपयोग रास्ते के रूप में बिना किसी रोक टोक कर रहें है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा खसरा नम्बर 129 व 130 की भूमि पर तारबन्दी कर कब्जा करना चाहते है। जिससे अपीलाण्ट के घर से निकलने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। इस प्रकार अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा अबकाई की ढाणी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 129 व 130 पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 को अतिक्रमण करने, कब्जा करने व उस पर तारबन्दी कर निर्माण करने तथा अपीलाण्टगण को मकान में आने जाने हेतु किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से रोके जाने हेतु रेस्पोडेण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोके जाने की ईस्तदुआ न्यायालय से मांगी थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पब्लिक न्युसेंस को कतई मध्यनजर नहीं रखा, एवं मात्र धारा 91 के तहत तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने का हवाला देते हुए अपीलाण्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु पूर्ण रूप से अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये जैर अपील आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने सरकारी भूमि खसरा संख्या 128 व 129 पर अवैध अतिक्रमण किया है। जिसे राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण को संरक्षित करने की नियत से यह अपील पेश की गयी है। अपीलाण्ट उक्त खसरा नम्बर 128 व 129 पर पक्का निर्माण करने पर उतारू है। जिसे रोकने हेतु तहसीलदार, सोजत द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कार्यवाही की जा रही है, उक्त कार्यवाही को रोकने की नियत से यह अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट ने कोई रास्ता अवरूद्ध नहीं किया है। अपीलाण्ट स्वयं अतिक्रमी होने से रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सुनवाई का विधिवत अवसर दिया जाकर कानूनी प्रावधानो व न्यायिक दृष्टान्तो का अध्ययन करने के उपरान्त जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 128, 129 व 130 क्रमशः गै0 मु0 रास्ता, गै0 मु0 आगौर, गै0मु0 आखरिया है जो कि सिवायचक होकर राजकीय खाते में दर्ज है। अपीलाण्ट ने सिवायचक भूमि बाबत् रेस्पोडेण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है।

- अपीलाण्ट्स विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है, एवं न ही वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स के किसी भी प्रकार के अधिकार प्रमाणित है। जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलाण्ट के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

- वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थं भूमि है, अतः सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

- अपीलाण्ट उक्त आराजी पर रेकर्डड खातेदार व कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने की भी संभावना नहीं है।

एक खातेदार या वही व्यक्ति जिसका आराजी में अधिकार निहित हो वो ही अपनी आराजी में किसी अन्य खातेदार/व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है। इस कारण उक्त भूमि पर न तो अपीलाण्ट्स को व न हीं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 को अवैध कब्जा, अतिक्रमण व निर्माण इत्यादि करने का हक अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरूद्ध तहसीलदार को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत कार्यवाही के विधिक अधिकार प्राप्त है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश मे हमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 15 / 2020 बउनवान मोटाराम बनाम भोलाराम में पारित आदेश दिनांक 27.08.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली